झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, राँची–834001

विज्ञापन

आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि–19.06.2025	विज्ञापन संख्या–11/2018

षष्ठम् सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के "उप समाहर्ता" (Deputy Collector) पद पर नियुक्ति।
(झारखण्ड सरकार के अन्तर्गत अनुकंपा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए)

पूर्व में दिनांक–25.09.2018 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या–11/2018 के क्रम में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक–5351 दिनांक–22.09.2023, पत्रांक–2389 दिनांक–28.03.2024, पत्रांक–4693 दिनांक–18.07.2024 एवं माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में W.P.(S). No.-790/2019 चंदन कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा सदृश 8 अन्य वादों में दिनांक–16.12.2022 को पारित न्यायादेश एवं पूर्व में प्राप्त कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक–10248 (अनु0) दिनांक–05.12.2016 द्वारा अधियाचित एवं संसूचित रिक्तियों के अनुरूप झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के **"उप समाहर्त्ता" (Deputy Collector)** के कुल 28 पदों पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से नियुक्ति हेतु विहित शर्तों एवं निर्देशों के अनुरूप झारखण्ड सरकार अन्तर्गत 'अनुकंपा' में कार्यरत अर्हताधारियों से विहित प्रपत्र (आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध) में **ऑफलाईन** आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:–

1. **पदनाम** :– उप समाहर्त्ता (सीमित भर्ती)
2. **रिक्तियों की विवरणी :**

SL. No.	Category	A. Vertical Reservation	B. Horizontal Reservation against total vacancy	
		Total Vacancies	Women	Handicapped (Blind)
a	Unreserved	13	01	01
b	SC	02		
c	ST	08		
d	BC-I	04		
e	BC-II	01		
Total		28		

नोट :– रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

3. **वेतनमान** :– PB-II 9300-34800 Grade Pay- 5400 (अपुनरीक्षित)
4. **परीक्ष्यमान अवधि** :– 02 (दो) वर्ष
5. **पद** :– स्थायी

6. **नियुक्ति के लिए योग्यताएँ :–**

(क) शैक्षणिक योग्यता:– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक उत्तीर्ण होंगे।

(ख) (i) झारखण्ड प्रशासनिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2023 के आलोक में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में वैसे सरकारी सेवक भाग लेंगे, जिनकी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा एवं अनुकम्पा के माध्यम से हुई है तथा अराजपत्रित अनुसचिवीय संवर्ग (ग्रुप ख), जैसा कि झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 30, परिशिष्ट–5 में परिभाषित है, में कार्यरत हो एवं सेवा उत्कृष्ट कोटि की हो तथा धारित पद का ग्रेड वेतन उप समाहर्ता के लिए स्वीकृत ग्रेड वेतन से कम हो। संबंधित कर्मी निलम्बित नहीं हों, उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही संचालित नहीं हों तथा सेवाकाल में कोई दण्ड अधिरोपित नहीं किया गया है तथा जिनकी सेवा दिनांक–01.08.2015 को झारखण्ड सरकार में न्यूनतम 5 (पांच) वर्षों की हो तथा वे अपने संवर्गीय पद पर दिनांक–01.08.2015 को अथवा उसके पूर्व से सम्पुष्ट हों।

(ii) दिनांक–01.08.2015 को 45 वर्ष से अधिक उम्र का नहीं हों।

(ग) वैसे अभ्यर्थी जो सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में तीन अवसरों में भाग ले चुके हैं वे इस सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में भाग नहीं लेगे।

7. (क) **प्रतियोगिता परीक्षा का स्वरूप** :– परीक्षा के तीन पत्र होगें एवं प्रत्येक 100 अंक का होगा। प्रथम पत्र एवं द्वितीय पत्र **वस्तुनिष्ठ** प्रकृति तथा तृतीय पत्र **विषयनिष्ठ** प्रकृति का होगा। प्रत्येक पत्र के लिए परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी।

(ख) **सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम**–उप समाहर्ता सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नवत् होगा:–

(1) **प्रथम पत्र** – General Studies Paper-I (वस्तुनिष्ठ) – 100 अंक
- (i) History of India and Indian national movement
- (ii) India and world Geography
- (iii) India - Polity and Economy
- (iv) History, Geography, Economy and culture of Jharkhand

(2) **द्वितीय पत्र** – General Studies Paper-II (वस्तुनिष्ठ) – 100 अंक
- (i) General Science
- (ii) General mental Ability
- (iii) Current Events of State, National and International Importance

(3) **तृतीय पत्र** – (विषयनिष्ठ) – 100 अंक

(1) झारखण्ड सेवा संहिता	(6) झारखण्ड राज्य सरकारी सेवक आचार नियमावली
(2) झारखण्ड पेंशन नियमावली	(7) झारखण्ड कोषागार संहिता
(3) झारखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली	(8) झारखण्ड वित्तीय नियमावली
(4) सचिवालय अनुदेश या बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली	(9) झारखण्ड असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली
(5) झारखण्ड यात्रा भत्ता नियमावली	

(ग) **मौखिक परीक्षा** – सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में कोई अन्तर्वीक्षा नहीं होगी।

(घ) **सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक**–सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में उम्मीदवारों को सफल होने के लिए लिखित परीक्षा के पूर्णांक का न्यूनतम 40 (चालीस) प्रतिशत अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य है, जिसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 05 (पाँच) प्रतिशत तक की छूट दी जा सकेगी।

8. **<u>आरक्षण का लाभ</u> :–**

(a) आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को विहित प्रपत्र में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।

(b) शैक्षणिक कार्यों के लिए निर्गत स्थानीय निवासी/जाति/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा।

(c) सभी कोटि के महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु झारखण्ड सरकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।

(d) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड ज्ञापांक–235 दिनांक–10.10.2019 के आलोक में अन्य राज्य से झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आव्रजित महिलाओं को आव्रजित राज्य में आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है।

(e) निःशक्तता का लाभ प्राप्त करने हेतु झारखण्ड सरकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

(f) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को (राज्य सरकार के पत्रांक–1754 दिनांक–25.02.2019 के अनुसार) झारखण्ड राज्य के **सक्षम प्राधिकार यथा जिला दंडाधिकारी/अपर दंडाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्त्ता/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी/सहायक समाहर्त्ता एवं सहायक दंडाधिकारी/अंचल अधिकारी** में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।

(h) <u>जाति प्रमाण पत्र हेतु विस्तृत निदेश निम्नवत्</u> हैः–

(i) **<u>अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जातिः</u>**– झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–2669, दिनांक–10.05.2023 द्वारा निर्धारित प्रपत्र–5/प्रपत्र-V (संशोधित/ Amended), पत्रांक–1361, दिनांक–03.03.2022 प्रपत्र–4/प्रपत्र-IV (संशोधित/Amended) एवं पत्रांक–1754, दिनांक 25.02.2019 द्वारा विहित प्रपत्र–IV/प्रपत्र–4 में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार यथा जिला <u>दण्डाधिकारी/अपर</u> जिला <u>दण्डाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त</u>/अपर समाहर्त्ता/प्रथम श्रेणी <u>दण्डाधिकारी/अनुमंडल दण्डाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/ कार्यपालक दण्डाधिकारी/सहायक</u> समाहर्त्ता एवं सहायक <u>दण्डाधिकारी/अंचल</u> अधिकारी में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट **<u>www.jpsc.gov.in</u>** पर Important Jharkhand Govt. Circular & Notices में उपलब्ध है।

(ii) **<u>अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II</u>** :–झारखण्ड राज्य के **अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II** कोटि के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र–XI/ प्रपत्र–11 (क्रीमीलेयर रहित) में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। किन्तु जाति प्रमाण पत्र (क्रीमीलेयर रहित) की वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–1754, दिनांक–25.02.2019 के अधीन प्रपत्र–XV में गैर क्रीमीलेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट **<u>www.jpsc.gov.in</u>** पर Important Jharkhand Govt. Circular & Notices में उपलब्ध है।

नोटः–

(i) झारखण्ड सरकार के सेवाओं/पदों के लिए अनुमान्य झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के साथ यदि प्रमाण पत्र में Form-XI/प्रपत्र–11 Required अंकित हो तो Form-XI/प्रपत्र–11 (Non-Creamy Layer) से संबंधित प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाय अन्यथा दावे के अनुरूप आरक्षण कोटि की अनुमान्यता नहीं दी जाएगी। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर Important Jharkhand Govt. Circular & Notices में उपलब्ध है।

9. **निःशक्तता का लाभ** :–

(i) आवेदन पत्र में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित निःशक्तता का दावा नहीं करने पर निःशक्तता का लाभ देय नहीं होगा। एक बार नियत प्रविष्टि के पश्चात् निःशक्त श्रेणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन का दावा नहीं किया जा सकता है। ऑफलाईन आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् आयोग कार्यालय में प्रेषित आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ii) निःशक्तता का लाभ कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्त अभ्यर्थी को ही देय होगा। निःशक्तता का दावा हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–2249, दिनांक 03.04.2018 के आलोक में सक्षम मेडिकल बोर्ड एवं मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित/प्रतिहस्ताक्षरित निःशक्तता प्रमाण पत्र के आधार पर ही आरक्षण की सुविधा अनुमान्य होगी। संबंधित संकल्प एवं विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

10.

(i) झारखण्ड राज्य के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए जाति प्रमाणपत्र की **स्पष्ट एवं पठनीय** स्वअभिप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। संलग्न जाति प्रमाण पत्र से संबंधित विवरणी यथा प्रमाण पत्र संख्या, जारी करने की तिथि, अनुमंडल, जिला, राज्य एवं निर्गत करने वाले प्राधिकार का नाम आवेदन पत्र में देना अनिवार्य होगा।

(ii) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त जाति प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

(iii) भारत सरकार के पदो के लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र अनुमान्य नहीं होगा।

(iv) कोटि का निर्धारण आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर की जाएगी।

(v) शैक्षणिक कार्यो के लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण में अनुमान्य नहीं होगा।

(vi) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I (अनुसूची–I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) के अभ्यर्थी जो आरक्षण का दावा करते हैं, उनके द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र (विज्ञापन की कंडिका 8 (ii) (a) एवं (b) में उल्लेखित) से अलग निर्गत जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने पर उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि में रखी जाएगी यदि उक्त कोटि के अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन हो।

(vii) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जाति प्रमाण पत्र के संबंध में किए गये प्रविष्टि के अनुरूप जाति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं करने की स्थिति में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

11. **परीक्षा शुल्क :–**

(i) परीक्षा शुल्क **Credit Card/ Debit Card/ Internet Banking/ SBI Buddy/ SBI UPI/ Other Payment Mode(Challan)** के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किया जायेगा जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(ii) अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) कोटि के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रू0–**600 (छः सौ) + बैंक चार्ज** मात्र है।

(iii) **परीक्षा शुल्क में छूट–**

(a) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू0–**150/– (एक सौ पचास) + बैंक चार्ज** मात्र है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी।

(b) निःशक्त अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है। इसके लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या– 2249 दिनांक– 03.04.2018 के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

(iv) अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी।

(v) **परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।**

(vi) कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता वाले निःशक्त अभ्यर्थियों को छोड़ अन्य 40 प्रतिशत से कम संगत निःशक्तता वाले अभ्यर्थियों द्वारा बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे।

(vii) परीक्षा शुल्क प्राप्ति रसीद की मुद्रित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

12. **आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देशः–**

(i) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ए–4 आकार (210 X 297 मिमी.) के मोटे कागज पर आयोग के वेबसाइट–**www.jpsc.gov.in** से डाउनलोड कर व्यवहार में लायें। निर्धारित प्रपत्र से अलग मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(ii) आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ नीले/काले बॉल प्वाइंट पेन से स्वहस्तलिपि में साफ–साफ अंकित करें। आवेदन निर्धारित प्रपत्र मे ही हो, उचित एवं पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई संशोधन/परिवर्तन/ओवरराइटिंग नहीं हो। आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें। मुद्रित/टंकित/छायाप्रति/स्कैन किया हुआ समर्पित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(iii) आवेदन–पत्र में रिक्त आयतों को समुचित तरीके से इस प्रकार भरें जैसे :–

(a) आवेदन में देवनागरी लिपि में नाम. यथा; सचिन कुमार. इस प्रकार भरा जाय –

स	चि	न		कु	मा	र		

(b) हिन्दी अथवा अंग्रेजी में एक शब्द के बाद एक ब्लॉक रिक्त रखें यथा – AMIT KUMAR RAM को बॉक्स में इस तरह लिखेंगे एवं तदनुसार ही ब्लॉक को भरेंगे :–

A	M	I	T		K	U	M	A	R		R	A	M	

(c) हिन्दी अथवा अंग्रेजी में एक शब्द के बाद एक ब्लॉक रिक्त रखें।

(d) उसी प्रकार सभी स्तंभ (कॉलम) के आयतों को भरें। अपूर्ण अथवा अनुचित तरीके से भरे गये आयतों को अधूरी/अपूर्ण सूचना समझी जायेगी एवं आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(e) जो स्तंभ (कॉलम) उम्मीदवार से संबंधित न हो अथवा उसपर लागू न हो, उसे क्रॉस (x) कर दें।

(f) आवेदक "शैक्षणिक योग्यता" के अधीन पूर्णांक, प्राप्तांक एवं अन्य स्तंभों में भली भांति भरें।

(g) आवेदक अपनी शारीरिक पहचान का विशिष्ट चिह्न अवश्य अंकित करें जो दूसरों से उनकी पहचान पृथक कर सके।

13. **फोटोग्राफ :–**

आवेदन पत्र पर फोटो चिपकाने हेतु निर्धारित खाली जगह में अंकित निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। फोटो स्टेपल न करें या सेलोटेप से न साटें। गोंद से अच्छी तरह चिपकाएँ। फोटो हाल का खींचा हुआ होना चाहिए। पुराना एवं अस्पष्ट फोटो आवेदन–अस्वीकृति का कारण हो सकता है। फोटो इस प्रकार स्वअभिप्रमाणित किया जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पर एवं शेष आधा भाग फोटो पर रहे।

14. **लिफाफा एवं प्रमाण पत्र :–**

(i) विहित आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वच्छ एवं स्पष्ट (Visible) स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अनुलग्नक के रूप में क्रमवार संलग्न करना अनिवार्य होगा :–

1) जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र/अंक पत्र।
2) स्नातक अथवा समकक्ष डिग्री से संबंधित प्रमाण पत्र/अंक पत्र।
3) जाति प्रमाण पत्र, प्रपत्र–I के अनुसार (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए)।
4) जाति प्रमाण पत्र, प्रपत्र–II के अनुसार {अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) के उम्मीदवारों के लिए ननक्रीमीलेयर प्रमाण पत्र के साथ}।

5) सरकारी सेवा (ग्रुप–ख) में योगदान की तिथि के साक्ष्य हेतु नियुक्ति पत्र अथवा सेवा पुस्त की कार्यालय प्रधान द्वारा अभिप्रमाणित प्रति।

6) सेवा सम्पुष्टि से संबंधित निर्गत कार्यालय आदेश अथवा सेवा पुस्त में अंकित आदेश की सत्यापित प्रति।

7) विकलांगता का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

8) फोटोयुक्त पहचान पत्र–आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पैन कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस।

9) परीक्षा शुल्क प्राप्ति रसीद की मुद्रित प्रति।

(ii) जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेज रहें हैं, उस लिफाफा के ऊपर **आवेदक का नाम, परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या** एवं **पदनाम** जिसके लिए आपने आवेदन किया है, अनिवार्य रूप से अंकित करें।

(iii) अभ्यर्थी आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा–निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लेंगे तथा आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएं सही–सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

15. **(A) कदाचार** (Misconduct) के निम्न मामलों में अभ्यर्थी के विरूद्ध कार्रवाई की जा सकती है:–

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false and suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

(a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
(b) Impersonating, or
(c) Procuring impersonation by any person, or
(d) Submitting fabricated documents or documents which have been tempered with, or
(e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
(f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
(g) Using unfair means during the test, or
(h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch in the script (s), or
(i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
(j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
(k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
(l) Attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
    (i) To be disqualified from selection for which he/she is a candidate, and/or
    (ii) To be debarred either permanently or for a specified period:-
    (iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate.

(B) <u>कदाचार के लिए कार्यवाही</u> :–

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गऐ अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी **stage** में समाप्त की जा सकेगी, जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(C) <u>पूर्व के कदाचार का प्रभावः–</u>

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

16. **<u>अन्य शर्तेंः–</u>**

(i) अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(ii) निर्धारित तिथि के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा कोई भी प्रमाणपत्र/अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर स्वीकार्य नहीं होगा।

(iii) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय संशोधित, स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

(iv) आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(v) अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है।

(vi) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाएँ एवं तदनुसार समर्पित प्रमाण पत्र एवं अभिलेखों के किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा आवेदक इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(vii) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में प्रविष्ट सूचना एवं तदनुसार संलग्न प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के आधार पर ही अभ्यर्थिता तय की जायेगी। अतः अभ्यर्थी आवेदन पत्र में सही–सही सूचना प्रविष्ट करते हुए प्रविष्ट किये गए सूचना के अनुसार संबंधित प्रमाण पत्र/अभिलेख (कण्डिका–14 के अनुसार) अनिवार्य रूप से संलग्न कर आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक समर्पित करेंगे। भूल सुधार/त्रुटि निराकरण का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा।

17. <u>अंतिम तिथि</u> :–

(i) आवेदक अपना आवेदन विहित प्रपत्र में कार्यालय प्रधान के माध्यम से केवल **निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा या हाथों–हाथ (कार्य अवधि में)** इस प्रकार भेंजे कि **दिनांक–19.06.2025** को अपराह्न **5:00** बजे तक **"परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची–834001"** को अवश्य प्राप्त हो जाए।

(ii) यदि डाक सेवा में विलम्ब के कारण किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होगा, तो वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(iii) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

अनुलग्नकः–
i. निःशक्तता प्रमाण पत्र का प्रपत्र।
ii. अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कोटि हेतु जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र (प्रपत्र–I)
iii. अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची– I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची– II) कोटि हेतु जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र (प्रपत्र– II/FORM-II)
iv. Form-XI/प्रपत्र–11 (Non-Creamy Layer) से संबंधित प्रमाण पत्र।

ह0/–
सचिव (प्रभारी),
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र सं. .... तारीख ....

निःशक्तता प्रमाण पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री .... आयु ....
लिंग ......पहचान चिन्ह .... निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त -

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फ़ोलिज़)

(I) दोनों टांगे (बी एल) - दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(II) दोनों बाहें (बी एल) - दोनों बाहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़

(III) दोनों टांगे और बांहे (बी एल ए) - दोनों टांगे और दोनों बाहें प्रभावित

(IV) एक टांग (ओ एल) - एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(V) एक बांह (ओ ए) - एक बांह प्रभावित
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(VI) पीठ और नितम्ब (बी एच) - पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(VII) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्ल्यू) - मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति ।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि
(I) बी-अंधापन
(II) पी बी - आंशिक रूप से अंधता
ग. कम सुनाई देना
(I) डी - बधिर
(II) पी डी.- आंशिक रूप से बधिर
(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/सुधार होने की संभावना नहीं है । इस मामले का पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती । .... वर्षों .... महीनों की अवधि के पश्चात् पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है ।

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत .... है ।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी .... अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती है:-

(I)	एफ- अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती है।	हाँ/नहीं
(II)	पी पी - धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ /नहीं
(III)	एल - उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ /नहीं
(IV)	के सी - घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ /नहीं
(V)	बी - झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ /नहीं
(VI)	एस - बैठकर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ /नहीं
(VII)	एस टी - खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ /नहीं
(VIII)	डब्ल्यू - चलते हुए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ /नहीं
(IX)	एस ई - देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ /नहीं
(X)	एच - सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं ।	हाँ /नहीं
(XI)	आर.डब्लयू- पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं ।	हाँ /नहीं

(डॉ ....)	(डॉ ....)	(डॉ ....)
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्साअधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित,
(मुहर सहित)

* जो लागू न हो काट दें।

झारखण्ड सरकार

प्रपत्र–I

....

(कार्यालय का नाम)

जाति प्रमाण पत्र

(सभी कार्यों के लिए)

संख्या :–............................ तिथि :–..............

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री ...., निवासी, ग्राम/कस्बा/मोहल्ला ...., डाकघर ...., थाना ...., जिला . ..., राज्य .... अनुसूचित जाति */ अनुसूचित जनजाति * श्रेणी के अन्तर्गत .... जाति/उप जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड राज्य के लिए अनुसूचित जाति */अनुसूचित जनजाति * के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी .... एवं/अथवा उनका/उनकी परिवार साधारणतः गांव/कस्बा .... शहर ....जिला .... राज्य .... में निवास करते हैं ।

स्थान :–

तिथि :– सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर;

नाम ....

पदनाम ....

(कार्यालय की मुहर)

(नोट– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा–23 एवं 24 के अन्तर्गत 5वीं तथा 6ठी अनुसूची में अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जन जाति) संशोधन आदेश 1950
2. * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

प्रपत्र ।।

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .... पुत्र / पुत्री .... ग्राम / शहर .... थाना .... जिला .... झारखण्ड के रहने वाले / की रहने वाली हैं, जो झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001*,** की धारा–2 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त .... समुदाय से आते / आती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–3482 दिनांक 10.06.2002 द्वारा अंगीकृत कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या–36012 / 22 / 93–स्था0(एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ–3 में उल्लिखित व्यक्ति / वर्ग (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं हैं।

स्थान :– सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

तिथि :– नाम ....

पदनाम ....

(कार्यालय की मुहर)

(नोट:– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में अंकित जातियाँ / उप जातियाँ।
2. ** झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा–2 में सन्निहित अत्यन्त पिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची, जो संकल्प संख्या–3885, दिनांक 05.11.2001, 801 दिनांक 11.02.2003, 3436 दिनांक 28.06.2004, 6337 दिनांक 08.12.2004, 6374 दिनांक 11.12.2004, 368 दिनांक 19.01.2006, 2759 दिनांक 01.06.2006, 3706 दिनांक 15.07.2006, 4447 दिनांक 24.08.2006, 5182 दिनांक 26.09.2006, 1604 दिनांक 28.03.2007, 243 दिनांक 11.01.2008, 5108 दिनांक 23.09.2008 4450 दिनांक 01.08.2011, 5826 दिनांक 19.09.2011, 697 दिनांक 26.09.2011, 6580 दिनांक 20.10.2011, 8060 दिनांक 17.12.2011 एवं 144 दिनांक 06.01.2012, 2855 दिनांक 27.03.2012 एवं समय–समय पर यथा संशोधित।

FORM-II

FORM OF CASTE CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY EXTREMELY BACKWARD CLASSES/BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO THE POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF JHARKHAND

This is to certify that Shri/Smt./Kumari ____________________ son/daughter of ____________________ resident of Village/Town ____________________ P.S. ____________________ District ____________________ of Jharkhand belongs to the ____________________ community which is recognised as an Extremely Backward Class (Annexure-I)/Backward Class (Aannexure-II) of the Jharkhand Reservation of Vacancies and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act-2001*,**.

This is to also certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column-3 of the Schedule to the OM No.-36012/22/93-Estt(SCT) dated 08.09.1993 of Department of Personnel & Training, Government of India as adopted by the Department of Personnel, Administrative Reforms and Official Languages vide Resolution No.-3482, dated 10.06.2002.

Place :-

Date :-

Signature of Competent Officer

Name ....

Post ....

(Official Seal)

(Note-Strike which is not applicable)

1. * Caste/Sub Caste enumerated in Jharkhand Reservation of Vacancies and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act-2001.
2. ** The castes included in the list of Extremely Backward Classes/Backward Classes under Section-2 of the Jharkhand Reservation of Vacancies and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act-2001 vide Resolution No.-3885, dated 05.11.2011, 801 dated 11.02.2003, 3436 dated 28.06.2004, 6337 dated 08.12.2004, 6374 dated 11.12.2004, 368 dated 19.01.2006, 2759 dated 01.06.2006, 3706 dated 15.07.2006, 4447 dated 24.08.2006, 5182 dated 26.09.2006, 1604 dated 28.03.2007, 243 dated 11.01.2008, 5108 dated 23.09.2008, 4450 dated 01.08.2011, 5826 dated 19.09.2011, 697 dated 26.09.2011, 6580 dated 20.10.2011, 8060 dated 17.12.2011, 144 dated 06.01.2012, 2855 dated 27.03.2012 and as revised from time to time.

(236)

(7)

प्रपत्र – 11

झारखंड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आवेदन करने के लिये अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र का फारम

प्रमाणित किया जाता है कि .... पिता .... पति .... (विवाहित महिला के मामले में) ग्राम/नगर ...., जिला/प्रमंडल .... , राज्य/संघशासित प्रदेश ...., ... जाति के सदस्य हैं, जो झारखंड रिक्तियों और पदों के लिये आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) अधिनियम 2001 के अधीन पिछड़े वर्ग (अनुसूची–I और II) के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा ये .... धर्म को माननेवाले हैं।

2. .... तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया झारखंड राज्य के ग्राम/नगर .... जिला/प्रमंडल .... में निवास करता है/करते हैं।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापांक 36012/22/93–स्था. (एस.इ.टी.), दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के स्तंभ–3 में उल्लिखित तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प सं. 3482, दिनांक 10.06.2002 द्वारा यथा अंगीकृत के अधीन क्रीमीलेयर व्यक्ति/वर्ग के सदस्य नहीं हैं।

4. यह प्रमाण पत्र कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93–स्था. (एस.इ.टी.), दिनांक 08.09.1993 के अपवर्जनों के नियमानुसार प्रमाणित आवेदक तथा उसकी/उसके माता–पिता द्वारा किये गये घोषणा के आधार पर जारी किया जाता है तथा यह निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिये वैध होगा। किन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धी अद्यतन स्वघोषणा पत्र (फार्म संख्या–15) संलग्न करने पर इस प्रमाण पत्र की वैधता स्वघोषणा पत्र समर्पित करने के वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी।

स्थान ....
तिथि ....

हस्ताक्षर ....
पदनाम ....
कार्यालय के सील सहित